

24/6/17

पत्रावली काज कोर्ट कैंप पुस्तकालय
पर पेश हुई। पक्षकार उपरोक्त वादी
के सहायकों की उपरोक्त सहायकों
सुरजमल, भीवाराम, चम्पा देवी व
रुनीता देवी व स्वयं वादी के द्वारा
शापथ पत्र पेश किए गए हैं। जिन
शापथ पत्रों में उल्लेख किया गया है
कि रतन लाल पुत्र इब्रार राफ की

नाम न्यायालय:-

केस संख्या:-

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष वि...

नाम न्यायालय
केस संख्या

क्रम संख्या
दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

विरावर के नाम से विनोद कुमाल का नाम ताराचन्द का नाम लखन से दर्ज कर दिया गया है जबकि पुत्र रतन लाल के ताराचन्द नाम का कोई बारीक नहीं है। खातेदारी में दर्ज ताराचन्द का नाम शुरू किया जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, पदनाम पत्र, आधार कार्ड, मा. शिक्षा बोर्ड अजमेर के माध्यमिक परिक्षा 2006 का प्रमाण पत्र, अंक तालिका में विनोद कुमाल पुत्र रतन लाल सारो ही अंकित है तथा सहखातेदारी ने भी ताराचन्द के नाम पर का नाम विनोद कुमाल ही शपथ पत्रों में बताया है। सिधाजा वादी का वाद स्वीकार किया जागा उचित प्रतिक्रिया दी

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिप्टी डिप्टा जाता है तथा वाके माप चौकू तहसील चौकू के खाता नं. 591 के खण्ड नं 2461, 2462, 2472, 2473, 2474/7617, 2477, 2477/7618, 2478, 2494/7619, 2511, 2512, 2520, 2521. किता - 13 का कुल रकबा 6.26 हेक्टर खाता नं. 592 के खण्ड नं 2405, 2406


अधिवक्ता
बामुं जिला जयपुर

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय
केस संख्या

विशेष विवरण

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>2407, 2410/7614, 2418, 2420, 2426, 2433, 2434, 2508, 2509, 2510 किता -12 का कुल रकबा 1.82 हेक्टर, खाता नं. 593 के खण्ड 2429, 2430 किता -2 का कुल रकबा 0.66 हेक्टर तथा बाके ग्राफ कालिंडरा तहसील चौक के खाता नं. 353 के खण्ड 2299, 2300, 2303, 2304, 2305 किता-5 का कुल रकबा 0.99 हेक्टर, खाता नं. 349 के खण्ड 2291, 2292, 2293, 2295, 2296, 2297, 2298, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311 कुल किता -13 का कुल रकबा 7.23 हेक्टर भूमि में दर्ज खातेदारी नाम ताराचन्द पुत्र रतन लाल के स्थान पर ताराचन्द उर्फ विनोद कुमार पुत्र रतन लाल दर्ज किमे जाने की घोषणा की जाती है तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में इनकाज पुरस्ती किमे जाने के आदेश किमे जाते हैं। डिहरी जारी हो। तहसीलदार चौक को डिहरी की प्रतिपालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली कैमल शुभा होकर दर्ज नम्बर ले कर हो तथा वाकिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपर्युक्त अधिकारी बाँस, जिला जयपुर </p>

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं)

पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार योगी (R.A.S)
उनवान

विनोद कुमार सारण पुत्र रतनलाल सारण, जाति जाट, निवासी करबा चौमूं, हाल
निवासी हनुमानजी के मन्दिर के पास, कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
वादी / प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला
जयपुर।

प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरुस्थी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0

अधिनियम

मुकदमा नम्बर :- 35/2016

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरु वादी मिन जामिन मुददई रुबरु अशोक कुमार योगी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा वाके ग्राम चौमूं तहसील चौमूं के खाता संख्या 591 के ख0न0 2461, 2462, 2472, 2473, 2474/7617, 2477, 2477/7618, 2478, 2494/7619, 2511, 2512, 2520, 2521 किता 13 का कुल रकबा 6.26 हैक्टेयर खाता संख्या 592 के ख0न0 2405, 2406, 2407, 2410/7614, 2418, 2420, 2426, 2433, 2434, 2508, 2509, 2510 किता 12 का कुल रकबा 1.82 हैक्टेयर, खाता संख्या 593 के ख0न0 2429, 2430, किता 2 का कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर तथा वाके ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूं के खाता संख्या 353 के ख0न0 2299, 2300, 2303, 2304, 2305 किता 5 का कुल रकबा 0.99 हैक्टेयर, खाता संख्या 349 के ख0न0 2291, 2292, 2295, 2296, 2297, 2298, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311 कुल किता 13 का कुल रकबा 7.23 हैक्टेयर भूमि में दर्ज खातेदारी नाम ताराचन्द पुत्र रतनलाल के स्थान पर ताराचन्द उर्फ विनोद कुमार पुत्र रतन लाल दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार चौमूं को डिक्री की प्रति पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हों।

30
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प मुख्यालय चौमूं मे आज तारीख
24.06.2017 को जारी किया गया।

मोहर



(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदाई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी	2		स्टाम्प अर्जी दावा	0	
स्टाम्प वकालतनामा	1		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीसकमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	0	

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो
या नहीं दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर